क्रम-संख्या--122

रजि० नं० एल० डब्लू०/एन० पी० 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-41

लाइसेन्स टु पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 8 जून, 1998

ज्येष्ठ 18, 1920 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1024/सत्रह-वि-1—1 (क) 21-1997

लखनऊ, 8 जून, 1998

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1997 पर दिनांक 1 जून, 1998 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1998 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जल-सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1997

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1998]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश जल-सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जल-सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1997 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43 सन् 1975 में नई धारा 100-क का बढ़ाया जाना

2--उत्तर प्रदेश जल-सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा 100 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :--

जल संस्थान का विघटन और उसके परिणाम

"100-क (1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, वहां वह, इस अधिनियम के अधीन गठित किसी जल संस्थान का विघटन अधिसूचना द्वारा, ऐसे दिनांक से जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, कर सकती है।

(2) किसी जल संस्थान की उपधारा (1) के अधीन विघटन किये जाने के दिनांक को और से--

(क) जल संस्थान में निहित समस्त सम्पत्ति और आस्तियां और उसके द्वारा वसूली योग्य समस्त देय ऐसे स्थानीय निकाय द्वारा जिसने ऐसे जल संस्थान के गठन के ठीक पूर्व स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता का प्रयोग किया हो, जिसे आगे स्थानीय निकाय कहा गया है, में निहित होंगे और उसके द्वारा वसूल किये जा सकेंगे;

(ख) जल संस्थान के समस्त अधिकार, दायित्व और आभार, चाहे वे जल संस्थान से संबंधित किसी संविदा से या अन्यथा उद्भूत हुए हों, स्थानीय निकाय के अधिकार, दायित्व और आभार होंगे;

(ग) ऐसे सभी वाद और विधिक कार्यवाहियां जो किसी जल संस्थान द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित की गयी हों या जो ऐसे निहित और अन्तरण न होने की दशा में संस्थित की जाती, स्थानीय निकाय द्वारा या उसके विरुद्ध यथास्थित जारी रखी जा सकती हैं या संस्थित की जा सकती हैं;

(घ) अधिनियम की धारा 38 में उल्लिखित ऐसे सभी वर्तमान जल और सीवर व्यवस्था संबंधी सेवाएं, अधिकार, दायित्व और आभार जो किसी जल संस्थान में निहित हों या उसके हों, स्थानीय निकाय में निहित होंगे और उसको अन्तरित हो जायेंगे और धारा 33 के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित स्थानीय निकाय को इस प्रकार अन्तरित होने या उसमें निहित होने पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे जल संस्थान को अन्तरित या निहित होने पर लागू हुए थे;

(ङ) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम की धारा 27 के अधीन नियुक्त या अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन जल संस्थान की सेवा में आमेलित प्रत्येक कर्मचारी स्थानीय निकाय का कर्मचारी हो जायगा और धारा 38 के उपबन्ध स्थानीय निकाय की सेवा में, उसके अन्तरण के संबंध में, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे स्थानीय निकाय से जल संस्थान में अन्तरण के संबंध में लागू हुए थे;

(च) ऐसे कर्मचारी जो उत्तर प्रदेश पालिका जलकल और जल संस्थान अभियंत्रण (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1986 द्वारा नियंत्रित होते हों या जल संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रहे हों, अपनी मूल सेवा के सदस्य बने रहेंगे और उक्त सेवा में प्रत्यावर्तित होंगे;

(छ) धारा 100 में निर्दिष्ट अधिनियमितियां उसी प्रकार प्रभावी बनी रहेंगी जिस प्रकार वे जल संस्थान के गठन के पूर्व लागू थी।"

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
विशेष सचिव।

No. 1024 (2)/XVII-V-1--1(KA)-21-1997

Dated Lucknow, June 8, 1998

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Jal Sambharan Tatha Sewer Vyawastha (Sanshodhan) Adhiniyam, 1997 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 16 of 1998) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on June 1, 1998.

THE UTTAR PRADESH WATER SUPPLY AND SEWERAGE (AMENDMENT) ACT, 1997

(U. P. ACT No. 16 OF 1998)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage (Amendment) Act, 1997.

Insertion of new section 100-A in U. P. Act no. 43 of 1975

2. *After* section 100 of the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975, the following section shall be *inserted*, namely :—

"100-A (1)—Notwithstanding anything contained in this Act or in any other law for the time being in force, where the State Government is satisfied that it is expedient in the public interest so to do, it may, by notification dissolve a Jal Sansthan constituted under this Act with effect from such date as may be specified in the notification.

Dissolution of Jal Sansthan and the consequences thereof

(2) On and from the date a Jal Sansthan is dissolved under sub-section (1),—

(*a*) all properties and assets vested in and all dues recoverable by the Jal Sansthan shall vest in, and may be realised by such local body as exercised Jurisdiction in the local area immediately before the constitution of such Jal Sansthan hereinafter referred to as the local body;

(*b*) all rights, liabilities and obligations of the Jal Sansthan, whether arising out of any contract or otherwise pertaining to Jal Sansthan shall be the rights, liabilities and obligations of the local body;

(*c*) all suits and legal proceedings instituted or which might, but for such vesting and transfer, have been instituted by or against a Jal Sansthan may be continued or instituted, as the case may be, by or against the local body;

(*d*) all existing water and sewerage services rights, liabilities and obligations thereto, mentioned in section 33 of the Act, vested in or belonging to a Jal Sansthan, shall vest in and stand transferred to the local body and the provisions of section 33 shall, *mutatis mutandis*, apply to such transfer to or vesting in the local body as they applied on transfer to or vesting in the Jal Sansthan ;

(*e*) Save as otherwise provided, every employees appointed under section 27 of this Act or absorbed in the service of Jal Sansthan under sub-section (1) of section 38 of the Act shall become employee of the local body and the provisions of section 38 shall, *mutatis mutandis*, apply in respect of his transfer to the service of the local body as they applied in respect of transfer from local body to the Jal Sansthan;

(*f*) employees governed by the Uttar Pradesh Palika Jal Kal and Jal Sansthan Abhiyantran (Kendriayit) Sewa Niyamawali, 1986 or working on deputation in Jal Sansthan shall continue to be members of their parent service and shall revert to the said service;

(*g*) the enactments referred to in section 100 shall continue to have effect in the same manner as they applied before the constitution of the Jal Sansthan."

By order,

Y. R. TRIPATHI,

Vishesh Sachiv.

बी० एस० यू० पी०—ए० पी० 16 सा० विभा०—(446)—1998—850 (मेक०)